



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270643
CG-DL-E-03032026-270643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]
No. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1452).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना को वापस लेता है :

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1361) दिनांक 06 नवंबर 2025 (प्रकाशित दिनांक 13 नवंबर 2025)

इस अधिसूचना को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाता है।

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./724/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1452).—Bureau of Indian Standards hereby withdraws the following Notification of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 :

Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1361) dated 06 November 2025 (Published on 13 November 2025)

This notification stands withdrawn with immediate effect.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./724/2025-26]